संख्या–वे0आ0–2– 1972 / दस–54(एम) 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
व्यवसायिक शिक्षा विभाग,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 22 नवम्बर, 2011

विषयः वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–5) में व्यवसायिक शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति द्वारा व्यवसायिक शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–5) में दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिया गया है :–

(1) श्रम विभाग के अधीन प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय को विभाजित कर व्यवसायिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्यों के कुशल सम्पादन हेतु अलग निदेशालय की स्थापना की जाय। उक्त हेतु वर्तमान में गठित प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय में उपलब्ध पदों में से आवश्यकतानुसार पदों को पदधारकों सहित नये गठित होने वाले निदेशालय में स्थानान्तरित किया जाय।

(2) कार्यशाला परिचर/भण्डार परिचर की शैक्षिक अर्हता हाई स्कूल के साथ इन्जीनियरिंग व्यवसाय में प्रमाण पत्र निर्धारित करते हुए कार्यशाला परिचर/भण्डार परिचर के पद पर वर्तमान वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 1800/– के स्थान पर वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 1900/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाए।

(3) समिति द्वारा आशुलिपिक संवर्ग, लिपिकीय संवर्ग, वाहन चालक संवर्ग तथा अन्य विभिन्न कोटि के सामान्य श्रेणी के पदों के बारे में विचार कर संस्तुतियां दी जा चुकी हैं। उक्त संस्तुतियों से व्यवसायिक शिक्षा विभाग के सामान्य श्रेणी के पद भी आच्छादित होंगे।

(4) व्यवसायिक शिक्षा विभाग में अन्य किसी पद पर वेतन विसंगति समिति के संज्ञान में नहीं लायी गयी।

कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव

संख्या–वे0आ0–2– 1972 (1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1।
2– कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
3– निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।